इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 402]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 अगस्त 2011-भाद्र 4, शक 1933

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2011

क्र. एफ 1-30-2007-बीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा, शिक्षक-शिक्षा एवं प्रशिक्षण अकादिमक (राजपित्रत) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्ती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

नियम

- 1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा, शिक्षक-शिक्षा एवं प्रशिक्षण अकादिमक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्ते नियम, 2011 है;
 - (2) ये नियम राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.
 - परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) व्याख्याता तथा वरिष्ठ व्याख्याता के संबंध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा अन्य उच्चतर पदों के संबंध में अभिप्रेत है सरकार ;
 - (ख) ''आयोग'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;
 - (ग) ''सिमिति'' से अभिप्रेत हैं, यथा स्थिति, चयन सिमिति/विभागीय पदोन्नित सिमिति या छानबीन सिमिति ;
 - (घ) ''परीक्षा'' से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन संचालित प्रतियोगिता परीक्षा या विभागीय परीक्षा;

- (ङ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
- (च) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;
- (छ) ''अन्य पिछड़े वर्ग'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, यथा संशोधित अधिसूचना क्र. एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग :
- (ज) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;
- (झ) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत हैं, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ;
- (ञ) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ट) ''सेवा'' सेवा से अभिप्रेत है, अनुसूची दो के कॉलम (2) में तथा उल्लेखित सेवा;
- (ठ) ''राज्य'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य;
- (ड) ''संस्थान'' से अभिप्रेत है, नियम 4 में यथाविनिर्दिष्ट संस्थान.
- 3. विस्तार तथा लागू होना.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम अनुसूची-एक-क तथा एक-ख में यथा उल्लेखित सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.
 - 4. सेवा का गठन.—(1) सेवा में निम्नलिखित संस्थान सिम्मिलित होंगे, अर्थात :—
 - (क) मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, भोपाल (एस. सी. ई. आर. टी.)
 - (ख) राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान (एस. आई. एस. ई.) जबलपुर
 - (ग) आंग्ल भाषा अध्यापन संस्थान (ई. एल. टी. आई.) भोपाल
 - (घ) पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान, (पी. पी. टी. आई.) जबलपुर
 - (ङ) प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान (आई. ए. एस. ई.) भोपाल एवं जबलपुर
 - (च) अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (सी. टी. ई.) खण्डवा, छतरपुर, देवास, उज्जैन, रीवा एवं ग्वालियर.
 - (छ) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी. आई. ई. टी.)
 - (ज) जिला स्रोत केन्द्र (डी. आर. सी.)
- (2) सेवा, निम्नलिखित व्यक्तियों से, जो उपर्युक्त संस्थानों में, अनुसूची एक-क तथा एक-ख में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे पदों पर कार्यरत है, गठित होगी :—
 - (क) व्यक्ति जो, इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची एक-क में यथाविनिर्दिष्ट किसी पद को मूल रूप से या स्थानापन्न रूप में धारण कर रहे हैं;
 - (ख) वे व्यक्ति, जिन्हें इन नियमों के प्रारंभ होने के समय मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1991 के उपबंधों के अधीन डाइट केडर (संवर्ग) में आमेलित किया गया है;
 - (ग) व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार, सेवा में भर्ती किए गए हैं.

5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि:—सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित किए गए पदों की संख्या (संस्थान वार पद सम्मिलित करते हुए) अनुसूची एक-क तथा एक-ख के अनुसार होगी :

परन्तु सरकार, समय-समय पर, सेवा में सिम्मिलित किए गए पदों की संख्या में स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

- 6. भर्ती का तरीका.—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—
- (क) प्रतियोगिता परीक्षा या चयन के माध्यम से सीधी भर्ती व्दारा;
- (ख) अनुसूची चार के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों से पदोन्नित द्वारा;
- (ग) उन व्यक्तियों के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किए गए हैं, जैसा कि सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं.
- (2) उपनियम (1) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय, अनुसूची-एक क तथा एक ख में यथादर्शित पदों की संख्या के अनुसूची दो क तथा दो ख में दर्शाए गए प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.
- (3) उप नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की राय में, सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमित से तथा लोक सेवा आयोग के परामर्श से उक्त उप नियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगी.
- 7. **सेवा में नियुक्ति.**—इन नियमों के प्रारंभ होने पर सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में यथा-विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.
- 8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**—परीक्षा में चयन के लिये भाग लेने हेतु पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—
 - (एक) आयु.—(क) उसने परीक्षा/चयन प्रारंभ होने की तारीख को ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची-तीन के कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, किंतु उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;
 - (ख) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.
 - (ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हो या कर्मचारी रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :—
 - (एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी सरकारी सेवक हो, 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को पांच वर्ष की छूट दी जाएगी.
 - (दो) यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;
 - (तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम सात वर्ष की सीमा तक की कालाविध, भले ही वह कालाविध एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से पांच वर्ष से अधिक न हो.

- स्पष्टीकरण.—पद ''छंटनी किया गया सरकारी सेवक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की या किन्हीं संघठक इकाईयों की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास की कालाविध तक निरन्तर रहा था और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा, आवेदन करने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया था.
- (चार) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालाविध कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.
- स्पष्टीकरण.—पद ''भूतपूर्व सैनिक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्निलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की निरंतर कालाविध तक निरंतर नियोजित रहा हो और किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने की अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था :—
 - (1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे सेवानिवृत्त रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;
 - (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और
 - (क) अल्पकालीन वचनबन्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर;
 - (ख) नामांकन संबंधी शर्ते पूर्ण कर लेने पर, सेवोन्मुक्त किया गया हो.
- (3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी;
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), (जिनमें अल्पाविध सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं), जो उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हों;
- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया है;
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो.
- (घ) सीधी भर्ती के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ङ) विधवा/ तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी. यह शिथिलता, आयु सीमा के संबंध में समस्त शिथिलताओं (छूट) के अतिरिक्त होगी.
- (च) उन अभ्यर्थियों के लिए जो, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

- (छ) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दम्पत्ति के पुरस्कृत सवर्ण पति/पत्नी के मामले में उच्चतर आयु-सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ज) विक्रम पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय होगी, आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को पांच वर्ष की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी,
- (ञ) नगर सेना (होम गार्डस) के स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नॉन-कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा पूर्व में
 की गई सम्पूर्ण सेवा की कालाविध के लिए शिथिलनीय होगी, किन्तु किसी भी दशा में इसके परिणामस्वरूप उनकी आयु
 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये;
- टिप्पणी.—1. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपर्युक्त नियम 8 (एक) के खण्ड (ग) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन के लिए पात्र पाया गया हो, यदि वे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् परीक्षा/चयन देने के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग-पत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे. तथापि यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ,उनकी सेवा अथवा पद से छटनी की जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे. किसी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जाएगी.
- टिप्पणी.—2. विभागीय अभ्यर्थी को, चयन में स्वयं को उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करना अपेक्षित होगा.
- (दो) **शैक्षणिक अर्हताएं.**—अभ्यर्थी के पास, अनुसूची-तीन में दर्शायी गई सेवा के लिये विहित शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए, परन्तु:—
 - (क) आयोग आपवादिक मामलों में, सरकार के परामर्श से, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इन नियमों में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं/विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों जो आयोग की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के लिए पात्र ठहराता हो; और
 - (ख) ऐसे अभ्यर्थियों पर भी जो अन्यथा अर्ह हैं, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से, उपिध प्राप्त की है, जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्रदान नहीं की गई है आयोग के विवेकानुसार परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए विचार किया जा सकेगा.
- (3) फीस.—सीधी भर्ती के लिए भाग ले रहे अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा.
- 9. **निरर्हता**.—(1) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा परीक्षा/चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हता माना जा सकेगा.
- (2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.
- (3) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा.

(4) कोई भी अभ्यर्थी, जो किसी अपराध के लिए सिद्ध-दोष ठहराया गया हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.

- 10. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.—चयन/परीक्षा में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे आयोग द्वारा प्रवेश का प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया है, आयोग द्वारा साक्षात्कार/परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.
- 11. **प्रतियोगी परीक्षा / चयन के माध्यम से सीधी भर्ती.**—(1) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जाएगी, जैसा कि सरकार समय-समय पर अवधारित करे.
- (2) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार और राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे.
- (3) इस प्रकार आरक्षित रिक्त स्थानों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम, नियम-12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो.
- (4) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को, प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए पद पर नियुक्ति के लिये चयन किए गए हैं यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर उप नियम (2) के अधीन नियुक्त किया जा सकेगा.
- (5) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालाविध का अनुभव एक आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और आयोग की राय में यह पाया जाए कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गी के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे, वही आयोग सरकार के परामर्श के पश्चात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गी के लिए अनुभव की ऐसी शर्ती को शिथिल कर सकेगा.
- (6) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो सकें तो शेष रिक्तियां, सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना, किसी अन्य प्रवर्ग से नहीं भरी जाएंगी और रिक्तियां अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अगले चयन के लिए आरक्षित रखी जाएंगी.
- (7) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जाएंगे.
- (8) सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों द्वारा नि:शक्त व्यक्तियों के लिये पद आरक्षित रखे जाएंगे बशर्ते कि वे कार्य करने में समर्थ पाए जाएं, जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया है.
- 12. **आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची**.—(1) आयोग ऐसे अभ्यर्थियों की जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि आयोग अवधारित करे, और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थियों की, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित न हो, फिर भी प्रशासन की दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये योग्य घोषित किए गए हों, गुणागुण (मेरिट) के क्रम से बनाई गई एक सूची सरकार को अग्रेषित करेगा. सूची को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाएगा.
- (2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यार्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हैं.
- (3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सिम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदत्त नहीं होता है जब तक कि सरकार का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हैं.

- (4) चयन सूची, आयोग द्वारा उसके जारी किये जाने की तारीख़ से एक वर्ष की कालावधि के लिये विधिमान्य रहेगी.
- 13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**—(1) पात्र अभ्यर्थियों का पदोन्नति के लिए चयन करने हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें अनुसूची–चार में वर्णित सदस्य होंगे.

परंतु विभागीय पदोन्नित सिमिति/छानबीन सिमिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर, नामिनदेशित किए गये सदस्यों में से कोई सदस्य पदोन्नित द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता हो तो उसी प्रास्थिति का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का कोई एक सदस्य पदोन्नित/छानबीन सिमिति में सिम्मिलित किया जाएगा और पदोन्नित/छानबीन सिमिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी.

- (2) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नित के लिये उसके कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट पदों पर अभ्यर्थियों की पात्रता, चयन प्रक्रिया तथा पदोन्नित द्वारा नियुक्ति, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नित) नियम, 2002 में यथा विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार होगी.
- (3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन—प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किये जाने वाले पदोन्नित आदेश पर, इस आशय के प्रमाण प्रत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाितयों, अनुसूचित जनजाितयों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नित) नियम, 2002 के उपबंधों तथा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया है और यह कि उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.
 - (4) सिमति की बैठक ऐसे अंतरालों से जो साधारणतया एक वर्ष से अधिक का न हो, होगी.
- 14. **पदोन्नित के लिये पात्रता शर्तें.**—(1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए सिमिति, उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को, उन पदों पर, जिनसे कि पदोन्नित की जानी है, या किसी अन्य पद या पदों पर जिसे/जिन्हों सरकार द्वारा समतुल्य घोषित किया जाए उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) जितनी की अनुसूची-चार के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट है पूरी कर ली हो और जो उपनियम (2) के अधीन विचार क्षेत्र में आते हों.
 - (2) पदोन्नित के लिए विचारण क्षेत्र मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नित) नियम, 2002 के अनुसार होगा.
- 15. उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करना.—(1) चयन सिमित ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम 15 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जो सिमित द्वारा सेवा में पदोन्नित के लिए उपयुक्त ठहराए गए हों. यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नित के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होंगी. उक्त चयन सूची में सिम्मिलित किये गये व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत पद की एक आरक्षित सूची पूर्वोक्त कालाविध के दौरान होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों को भरने के लिये भी प्रस्तावित की जाएगी.
- (2) चयन सूची तैयार करने का मानदण्ड, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नित) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार ''ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता'' (सिनियरिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) होगा. प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पद पर पदोन्नित का मापदण्ड ''योग्यता-सह-वरिष्ठता'' होगा.
- (3) ऐसी प्रत्येक चयन सूची को तैयार करते समय, सूची में सिम्मिलित किये गये अधिकारियों के नाम अनुसूची चार के कॉलम (2) में यथा वनिर्दिष्ट पदों या सेवा में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे:

परन्तु किसी ऐसे किनष्ठ अधिकारी को, जो सिमिति की राय में असाधारण योग्यता और उपयुक्तता रखता हो, उससे ज्येष्ठ अधिकारियों की तुलना में सूची में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा.

- (4) इस प्रकार तैयार की गयी सूची का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा.
- (5) यदि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण प्रस्तावित हो, तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के लिये अपने कारणों को अभिलिखित करेगी.

स्पष्टीकरण.—ऐंसे किसी व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सिम्मिलित किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वतर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर, जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का दावा नहीं होगा.

- 16. आयोग से परामर्श —िवभागीय पदोन्नित सिमिति की जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या उसके किसी सदस्य द्वारा की गई हो, सिफारिश के बारे में यह समझा जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद-320 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श करने की अपेक्षा का अनुपालन हो गया है.
- 17. **चयन सूची.**—(1) नियुक्ति प्राधिकारी, सिमिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और जब तक की वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे, उस सूची का अनुमोदन करेगा.
- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह सूची का ऐसे उपांतरणों के साथ, यदि कोई हो, लिखित में उसके कारणों का वर्णन करते हुए अंतिम रूप से अनुमोदन कर सकेगा.
- (3) सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित चयन सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में दर्शित किए गये पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (4)के कालम (3) में द्रिशत किए गए पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची,होगी.
- (4) चयन सूची, जब तक कि नियम 15 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं किया जाए, साधारणत: एक वर्ष की कालाविध के लिये प्रवृत्त रहेगी, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किए जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालाविध से अधिक नहीं बढाई जाएगी:

परन्तु चयन सूची में सिम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में कोई गंभीर चूक होने की दशा में, सरकार की प्रेरणा पर चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और सिमिति, यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी.

- 18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**—(1) चयन सूची में सिम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग (काडर) के पदों पर नियुक्ति, उसी क्रम से की जाएगी, जिस क्रम में ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में आए हों.
- (2) साधारणतया उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना सामान्यत: तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक की चयन सूची में उसका नाम सिम्मिलित किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालाविध के दौरान उसके कार्य में ऐसी गिरावट न आ गई हो, जिससे सरकार की राय में वह सेवा में नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त हो गया हो.
- 19. **परिवीक्षा अवधि.**—सेवा में पदोन्नत किया गया, प्रत्येक व्यक्ति को, दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.
- 20. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.
- 21. शिथिलीकरण.—इन नियमों में कि किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में, जिसको ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत और साध्यापूर्ण प्रतीत होती हो. कार्यवाही करने की शिक्त को सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला, ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उस व्यक्ति के लिए कम अनुकूल हो.

- 22. व्यावृत्ति.—इन नियमों में की कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा, इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए उपबंध किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.
- 23. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**—इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त मध्यप्रदेश, स्कूल शिक्षा भरती तथा पदोन्नित नियम, 1982 तथा मध्यप्रदेश प्रशिक्षण संस्थान (राजपित्रत) सेवा भर्ती नियम 1991, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किये गये किसी भी आदेश या की गई किसी कार्यवाही के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है.

> अनुसूची एक-क (नियम 5 देखिए)

पदों का वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सिम्मिलित पदों की संख्या

— अनु	- सेवा में सिम्मिलित पद	स्थाई पदों	वर्गीकरण	वेतनमान	 नियुक्ति
क्रमां	क	की संख्या			प्रधिकारी
(1)) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	आयुक्त-सह-संचालक	1	भा.प्र.से.	भा.प्र.सेवा सुपरटाईम स्केल	राज्य शासन
2	अपर संचालक संवर्ग*	3	प्रथम श्रेणी	37400-67,000 + ग्रेड पे 8700	राज्य शासन
3	संयुक्त संचालक संवर्ग**	10	प्रथम श्रेणी	15,600-39,100 + ग्रेड पे 7600	राज्य शासन
4	प्राध्यापक संवर्ग***	71	प्रथम श्रेणी	15,600-39,100 + ग्रेड पे 6600	राज्य शासन
5	सहायक प्राध्यापक	249	द्वितीय श्रेणी	15,600-39,100 + ग्रेड पे 5400	राज्य शासन
6	वरिष्ठ व्याख्याता	263	द्वितीय श्रेणी	9300-34,800 + ग्रेड पे 4200	संचालक, एससीईआरटी
7	व्याख्याता	407	द्वितीय श्रेणी	9300-34,800 + ग्रेड पे 3600	संचालक, एससीईआरटी.

^{*}संचालक, आई.ए.एस.ई के दो पद अपर संचालक संवर्ग में सिम्मिलित हैं.

^{**}संचालक, एस.आईएसई. का एक पद संचालक, ई.एल.टी.आई का एक पद तथा प्राचार्य सीटीई के 6 पद संयुक्त संचालक संवर्ग में सम्मिलित हैं.

^{***}प्राचार्य/डाइट/डीआरसी के 45 पद तथा प्राचार्य, पीपीटीआई का एक पद प्राध्यापक संवर्ग में सिम्मिलित है.

अनुसूची एक-ख (नियम 5 देखिए)

शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (अकादिमक) राजपित्रत संवर्ग के पदों का संस्थावार विवरण

अनु- क्रमांक	पद नाम	स्थायी पदों की कुल संख्या	एससी ईआरटी	आईए भोपाल	एसई जबलपुर	सीटीई	एसआईएसई	ईएल टीआई	डीआईईटी	डीआरसी	पीपीटी आई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	आयुक्त-सह-संचालक	1	1	_	_	_	-	-	-	-	-
2	अपर संचालक संवर्ग	3	1	1	1		-	-	-	-	-
3	<i>।</i> संयुक्त संचालक संवर्ग	10	2	-	<u></u>	6	1	1	-	-	-
4	प्राध्यापक	25	5	2	3.	12	2	1	san.	-	-
5	प्राचार्य (डाइट/डीआरसी/पीपीटीआई	46	-	-	-	-	****	-	42	3	1
6	सहायक प्राध्यापक	249	8	14	16	60	10	8	126	6	1
7	वरिष्ठ व्याख्याता	263	15	3	5	24	1000	_	210	6	-
8	व्याख्याता	407	15	4	8	24	4	-	336	12	4

अनुसूची दो-क

(नियम 6 देखिए)

भर्ती का तरीका

अनुक्रमांक	सेवा का नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले कार्य	भरे जाने वाले कार्य पदों की प्रतिशतता		
_			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1	अपर संचालक	3		100		
2	संयुक्त संचालक	10	—	100		
3	प्राध्यापक	71	25	75		
4	सहायक प्राध्यापक	249	50	50		
5	वरिष्ठ व्याख्याता	263	50	50		
6	व्याख्याता	407	100	_		

टिप्पणी.—वरिष्ठ व्याख्याता संवर्ग में से आधार पाठ्यक्रम, ललित कला/निष्पादन कला, कम्प्यूटर साइंस और शारीरिक शिक्षा प्रत्येक में 8-8 पद पदोन्नति हेतु सुरक्षित रखे जाएंगे.

अनुसूची दो-ख (नियम 6 देखिए)

संस्था तथा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले शिक्षक के पदों का विषयवार विवरण

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
अनुक्रमांक	संस्था का नाम	प्राध्याक संवर्ग	सहायक प्राध्यापक	वरिष्ठ	व्याख्याता के लिये
		विषय एवं पदों	संवर्ग के लिये	व्याख्याता	पदों की संख्या
		की संख्या	विषय एवं पदों	के पदों की	तथा विषय
			की संख्या	संख्या तथा विषय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	एससीईआरटी	मनोविज्ञान-1	गणित-1	इतिहास-1	हिन्दी-1
		दूरस्थ शिक्षा-1	हिन्दी-1	हिन्दी-1	अंग्रेजी-1
	,		अंग्रेजी-1	अंग्रेजी-1	, संस्कृत-1
	,		इतिहास-1	संस्कृत-1	उर्दू−1
			प्रारंभिक शिक्षा–1	उर्दू-1	भौतिक विज्ञान-1
				गणित-1	जीवविज्ञान-1
				भूगोल-1	गणित-1
				•	भूगोल-1
					वाणिज्य-1
					गृहविज्ञान-1
					मनोविज्ञान-1
					आधार पाठ्यक्रम-1
					ललितकला/निष्पादन
					कला-1
					कम्प्यूटर साइंस-1
					स्वास्थ्य और शारीरिक
					शिक्षा–1
2	एसआईएसई	जीवविज्ञान-1	गणित-1	_	भौतिक-1
		गणित-1	भौतिक-1		रसायन-1
			रसायन-1		जीवविज्ञान-1
			वनस्पति-1		गणित-1
			जन्तु विज्ञान-1		
3	ईएलटीआई	अंग्रेजी-1	अंग्रेजी-4	-	_
4	आईएएसई भोपाल	_	हिन्दी-1, अंग्रेजी-1		जीवविज्ञान-1
*			रसायन-1	भौतिकी-1	गणित-1
			वनस्पति विज्ञान-1		अंग्रेजी-1
			गणित-1		भूगोल-1
			अर्थशास्त्र-1		
			प्रारंभिक शिक्षा–1		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	आईएएसई जबलपुर	मनोविज्ञान-1	हिन्दी-1, अंग्रेजी-1 भौतिक-1, रसायन-1 जीव विज्ञान-1 गणित-1, राजनीति शास्त्र-1, मनोविज्ञान-1	हिन्दी-1 भौतिकी-1	जीवविज्ञान-1 गणित-1 अंग्रेजी-1 भूगोल-1 मनोविज्ञान-4
5	सीटीई	प्रारंभिक शिक्षा-12	अंग्रेजी–6 भौतिकी–6, रसायन–6 गणित–6, राजनीति शास्त्र 2, अर्थशास्त्र–2 भूगोल–2	अंग्रेजी-6 भौतिकी-6	हिन्दी-6 जीवविज्ञान-6 गणित-6 अर्थशास्त्र-6
6	डाइट/डीआरसी		प्रारंभिक शिक्षा-20, मनोविज्ञान-45	संस्कृत-45 गणित-45 अर्थशास्त्र-9 भूगोल-9	हिन्दी-45 अंग्रेजी-45 गणित-45 कम्प्यूटर साइंस-42 जीवविज्ञान-42 आधार पाठ्यक्रम-42 ललितकला-42 स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा-42, मनोविज्ञान-3
7	पीपीटीआई	_	मनोविज्ञान-1	-	गृह विज्ञान-2 मनोविज्ञान-2

अनुसूची तीन (नियम 8 देखिए)

सीधी भर्ती हेतु आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, अनुभव तथा आयु सीमा

संस्था	पद	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	अर्हता	अनुभव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
एससीईआरटी आईएएसई, सीटीई	प्राध्यापक	35	50	1-कम से कम प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि एवं एम. एड. 2-शिक्षा में पी. एच. डी.	1-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कक्षाओं में पढ़ाने का सात वर्ष का अनुभव. 2- शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में तीन वर्ष का शिक्षण एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजन का अनुभव. 3-शैक्षिक प्रशासन में कम से कम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य स्तर का तीन वर्ष का अनुभव.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
एसआईएसई	प्राध्यापक (विज्ञान)	35	50	1-कम से कम प्रथम श्रेणी में विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं एम. एड. 2-शिक्षा में पीएचडी.	1-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कक्षाओं में पढ़ानें का सात वर्ष का अनुभव. 2- शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में तीन वर्ष का शिक्षण एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजन का अनुभव. 3-शैक्षिक प्रशासन में कम से कम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य स्तर का तीन वर्ष का अनुभव.
इएलटीआई ,	प्राध्यापक	35	50	1-कम से कम प्रथम श्रेणी में अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं 'एम. एड. 2-शिक्षा में पीएचडी.	—तदैव—
आइएएसई	प्राध्यापक मनोविज्ञान	35	50	1-कम से कम प्रथम श्रेणी में मनोविज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं एम. एड. 2-शिक्षा में पीएचडी.	—तदैव—
डाईट, डीआरसी, पीपीटीआई	प्राचार्य	35	50	प्रथम श्रेणी सहित स्नातकोत्तर एवं एम. एड./एम.एड (प्रारंभिक) अथवा प्रथम श्रेणी सहित शिक्षा में एम. ए. तथा प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा में प्रथम श्रेणी सहित डिप्लोमा/डिग्री.	प्राथमिक अथवा प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा संस्थान में अध्यापन का पांच वर्ष का अनुभव.
एससीईआरटी/आईएएसई/ सीटीई/ एसआईएसई/ ईएलटीआइ/डाईट/ डीआरसी/पीपीटीआई	सहायक प्राध्यापक	30	45	 1- संबद्ध विषय में न्यूनतम प्रथम श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर डिग्री एवं एम. एड. 2-शिक्षा में पीएचडी. 	1- उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कक्षाओं में अध्यापन का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव. 2-शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में अध्यापन के साथ राष्ट्रीय एवं राज्य योजना के अनुरूप शैक्षिक कार्यक्रमों के संचालन एवं प्रशिक्षण का 3 वर्ष का अनुभव. 3-विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में राज्य स्तर पर शोध पत्र, प्रोजेक्ट, लेख, पुस्तक लेखन आदि का अनुभव.
एससीईआरटी/आईएएसई/ सीटीई/डाईट/ डीआरसी	वरिष्ठ व्याख्याता	28	45	1- शालेय शिक्षा के विषयों में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर एवं एम. एड. या न्यूनतम प्रथम श्रेणी सहित	1- उच्चतर माध्यमिककक्षाओं में पढ़ाने का न्यूनतम5 वर्ष का अनुभव.2-शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानमें अध्यापन व राष्ट्रीय एवं

(2) (1)(3) (4)(5) (6) एम. ए. (शिक्षा) तथा कम से राज्य योजना के अनुरूप शैक्षिक कम प्रथम श्रेणी सहित बी. एड. कार्यक्रमों के संचालन एवं प्रशिक्षण का 3 वर्ष का अनुभव. 3- शिक्षा में पीएचडी. को वरीयता. 3-विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में राज्य स्तर पर शोध पत्र, प्रोजेक्ट, लेख, पुस्तक लेखन आदि का अनुभव. एससीईआरटी/आईएएसई/ 1-प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा (क) आधार पाठ्यक्रम-व्याख्याता 25 35 सीटीइ/एसआईएसई/ प्रथम श्रेणी सहित एम. एड./ के क्षेत्र से संबंधित विद्यालयों डाईट/डीआरसी/ में अध्यापन का 5 वर्ष का एम. एड. (प्रारंभिक) पीपीटीआइ अथवा अन्भव. प्रथम श्रेणी सहित शिक्षा में 2-कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर में एमए तथा प्राथमिक तथा औपचारिक अर्हता होनी चाहिए. प्रारंभिक शिक्षा में प्रथम श्रेणी सहित डिप्लोमा/डिग्री (ख) तकनीकी पाठ्यक्रम-1- अनिवार्य प्रथम श्रेणी सहित किसी भी स्कूल शिक्षण विषय में स्नातकोत्तर तथा प्रथम श्रेणी सहित एम.एड./बी.एड. (प्रारंभिक) अथवा प्रथम श्रेणी सहित शिक्षा में एम.ए. तथा प्राथमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा में प्रथम श्रेणी सहित डिप्लोमा/डिग्री. 2-वांछनीय शैक्षिक प्रयोजनों के लिये आईसीटी के प्रयोग में दक्षता. (ग) ललित कला/निष्पादन कला (1) अनिवार्य ललित कला/संगीत/नृत्य में प्रथम श्रेणी सहित स्नातकोत्तर. (2) वांछनीय-शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमा (घ) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा प्रथम श्रेणी सहित शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री (एम.पी.एड.) वांछनीय:--ईसीई/शिक्षा में डिग्री (ङ) कम्प्यूटर साइंस अनिवार्य-प्रथम श्रेणी सहित

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन
(एमसीए)
वांछनीय- शिक्षा में
डिग्री/डिप्लोमा

टिप्पणी.--संबंद्ध विषय से अभिप्रेत है, अनुसूची-दो-ख में उल्लिखित पद वार विषय

अनुसूची-चार

(नियम 14 देखिए)

भर्ती का तरीका मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (अकादिमक) राजपत्रित संवर्ग

अनुक्रमांक	विभाग का नाम	उस सेवा या पद	उस सेवा या पद	पदोन्नति हेतु	विभागीय पदोन्नति समिति
		का नाम जिससे,	का नाम जिस पर	विहित अर्हता	के सदस्यों के नाम
		पदोन्नति की जाना ['] है	पदोन्नति की जाना है	एवं अनुभव	,
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	स्कूल शिक्षा विभाग	संयुक्त संचालक	अपर संचालक	05 वर्ष	(1) अध्यक्ष लोक सेवा आयोग अथवा उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य
2	स्कूल शिक्षा विभाग	प्राध्यापक	संयुक्त संचालक	05 वर्ष	—अध्यक्ष
3	स्कूल शिक्षा विभाग	सहायक प्राध्यापक	प्राध्यापक	05 বর্ष	(2) प्रमुख सचिव/सचिव स्कूल शिक्षा-सदस्य. (3) उपसचिव स्कूल शिक्षा -सदस्य (4) संचालक म. प्र. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्- सदस्य सचिव
4	स्कूल शिक्षा विभाग	वरिष्ठ व्याख्याता	सहायक प्राध्यापक	05 वर्ष	 संचालक एससीईआरटी-अध्यक्ष संचालक आईएएसई
5	स्कूल शिक्षा विभाग	व्याख्याता	वरिष्ठ व्याख्याता	05 वर्ष	(वरिष्ठतम)- सदस्य (3) प्राचार्य सीटीई (वरिष्ठतम)- सदस्य. (4) अपर संचालक/संयुक्त संचालक/ एससीईआरटी-सदस्य-सचिव.

टिप्पणी.—विभागीय पदोन्नित समिति में अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई सदस्य नहीं होने की दशा में उपरोक्त प्रवर्ग से संबंधित अतिरिक्त अधिकारी शामिल किया जावेगा.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गीता मिश्रा, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2011

क्र. एफ 1-30-2007-बीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1-30-2007-बीस-1, दिनांक 26 अगस्त 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गीता मिश्रा, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th August 2011

No. F-1-30-2007-XX-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to recruitment and conditions of service of the Madhya Pradesh School Education Teacher Education and Training, Academic (Gazetted) Service, namely:—

RULES

- 1. **Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh School Education Teacher Education and Training Academic (Gazetted) Service Recruitment and conditions of service Rules, 2011.
 - (2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Gazette.
 - 2. **Definition**.—In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "Appointing Authority" in respect of the Lecturer and Senior Lecturer means the Director, State Council of Educational Research and Training and in respect of other higher posts means the Government;
 - (b) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission;
 - (c) "Committee" means the selection committee/Departmental promotion committee or screening Committee, as the case may be;
 - (d) "Examination" means competitive examination or departmental examination conducted under these rules;
 - (e) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
 - (f) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;.
 - (g) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizen as specified by the State Government vide notification No. F-8/-5XXV-4-84, dated the 26th December, 1984 as amended from time to time:
 - (h) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;
 - (i) "Scheduled Caste" means any caste, race or tribe or part of or group within any caste, race or tribe specified as Scheduled Caste with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;
 - (j) "Scheduled Tribe" means any tribe or tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as Scheduled Tribe with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;
 - (k) "Service" means service as mentioned in column (2) of Schedule II;
 - (l) "State" means the State of Madhya Pradesh;
 - (m) "Institute" means the Institutes as specified in Rule 4.

- 3. **Scope and Application.**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service as mentioned in Schedule I A and I B.
 - 4. Constitution of Service.— (1) The Service shall include the following Institutes namely:—
 - (a) Madhya Pradesh State Council of Education Research and Training, Bhopal (SCERT);
 - (b) The State Institute of Science Education, (SISE) Jabalpur;
 - (c) The English Language Teaching Institute, (ELTI) Bhopal;
 - (d) Pre-primary Training Institute (PPTI) Jabalpur;
 - (e) Institute of Advance Studies in Education (IASE) Bhopal and Jabalpur;
 - (f) Collage of Teacher Education (CTE) Khandwa, Chhatarpur, Dewas, Ujjain, Rewa and Gwalior.
 - (g) District Institute of Education and Training (DIET);
 - (h) District Résource Centre (DRC).
- (2) The Service shall consist of the following persons who are working in the aforesaid Institutes, on such posts as specified in Schedule I-A and I-B:—
 - (a) Persons who, at the time of commencement of these rules, are holding any post as specified in Schedule-I-A substantively or in officiating capacity;
 - (b) Persons, at the time of commencement of these rules, were absorbed in DIET cadre under the provisions of the Madhya Pradesh School Education, District Institute of Education and Training (Gazetted) Service, Recruitment Rules, 1991;
 - (c) Persons recruited to the services in accordance with the provisions of these rules.
- 5. Classification, Scale of pay, etc.—The Classification of service, the scale of pay attached thereto and the number of posts (Including Institute wise post) included in the services, shall be in accordance with the provisions of Schedule I A and Schedule I B:

Provided that the Government may, from time to time add to or reduce the number of posts included in the service either on a permanent or temporary basis.

- 6. **Method of Recruitment.—**(1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:—
 - (a) by direct recruitment through competitive examination or by selection;
 - (b) by promotion amongst members of the service as specified in column (3) of Schedule-IV;
 - (c) by transfer or on deputation of the persons appointed on a substantive post in such services as may be specified by the Government in this behalf.
- (2) The number of persons recruited under clause (a) or (b) of sub-rule (1) shall not, at any time exceed the percentage as shown in Schedule-II-A and II-B of the number of posts as specified in Schedule-II-A and I-B.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government, the exigencies of the service so require, the Government, may with the prior concurrence of the General Administration Department and in consultation with the Public Service Commission adopt any other method of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule.

- 7. **Appointment to the Service.** All the appointments to the service on the commencement of these rules, shall be made by the appointing authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment as specified in rule 6.
- 8. Conditions of Eligibility for the Direct Recruitment:— In order to be eligible to compete for selection in the examination a candidate must satisfy the following conditions, namely:—

(i) Age,--

- (a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule, on the first day of January, next following the date of commencement of the examination/selection;
- (b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years, if a candidate belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes.
- (c) The upper age limit shall be relaxable in respect of the candidates, who are or have been employees of Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below:—
 - (i) A candidate who is a permanent or temporary Government servant should not be more than 40 years of age, relaxation of five years shall be given to candidate belonging to reserved category.
 - (ii) This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, worked-charged employees and employees working in the project implementation committee.
 - (iii) A candidate who is a retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him to a maximum limit of seven years, even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than five years.
 - **Explanation.**—The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.
 - (iv) A candidate who is an ex-serviceman will be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, Provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.
 - Explanation —The term "ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service:—
 - (1) Ex-servicemen released under mustering out concessions;
 - (2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on (a) completion of short term engagement; (b) Fulfilling the conditions of enrollment;
 - (3) Ex-personnel of Madras Civil unit;
 - Officers (military and civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers);
 - (5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;
 - (6) Ex-serviceman invalidated out of service;

- (7) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldier;
- (8) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gunshot, wounds etc.
- (d) The general upper age limit shall be relaxable up to a maximum of ten years to a women candidates for direct recruitment.
- (e) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of the widow/divorced women candidates. This relaxation shall be in addition to all the relaxations in respect of age limit.
- (f) The general upper age limit shall be relaxable up to a maximum of two years for those candidates who are holding Green Card under the Family Welfare-Programme.
- (g) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the intercaste marriage incentive programme of the Tribal, Scheduled Caste and Backward Class Welfare Department.
- (h) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of Vikram Award holder candidates;
- (i) The upper age limit shall be relaxable up to maximum of 40 years of age in respect of candidates, who are employees of the Madhya Pradesh State Corporation/Boards. Employees of reserved categories shall get additional relaxation of five years.
- (j) The upper age limit shall be relaxable for voluntary Home Guards and non-commissioned officers of Home Guards for the period of whole service previously rendered by them but in no case their resultant age should not exceed 40 years of age.
- Note (1):- Candidates who are found eligible for examination/selection under the age-concessions mentioned in sub-rule 8 (i) (C) (i) and (ii) above shall not be eligible for appointment, if after submitting, application they resign from service, either before or after examination/selection. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application. In no other case their age limit shall be relaxed.
- Note (2) A departmental candidate shall be required to obtain prior permission of the appointing authority for presenting himself for selection.
- (ii) **Educational Qualifications.** The candidates must possess the Educational Qualification prescribed for the service as shown in Schedule III:

Provided that -

- (a) In exceptional cases the Commission may, in consultation with the Government, treat as qualified a candidate, who though not possessing any of the qualifications prescribed in these rules but has passed examination conducted by other Institutions/University by such a standard which, in the opinion of the Commission considers the candidates eligible to appear in the examination/selection; and
- (b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degree from foreign University being Universities not specifically recognized by the Government may also be considered for appearing the examination/selection at the discretion of the Commission.
- (iii) Fees.—The candidates competing for direct recruitment must pay the fees as prescribed by Commission.
- **9. Disqualification.**—(1) Any attempt on the part of candidate to obtain support for his candidature by any means, may be held by the Commission to disqualify him for appearing in the examination/selection.
- (2) No candidates shall be eligible for appointment to a service or post, who has married before the minimum age fixed for marriage.
- (3) A candidate shall not be eligible for any service or post if he has more than two living children one of whom is born on or after January 26, 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post who has already one living child and next delivery takes place on or after January 26, 2001 in which two or more than two children are born.

- (4) No candidate shall be eligible for the appointment to any service or post who has been convicted for an offence.
- 10. Commission's decision about the eligibility of candidates shall be final.— The decision of the commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection/examination shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the commission shall be allowed to appear in the interview/examination.
- 11. **Direct Recruitment through competitive Examination/ selection.** (1) The competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government determines from time to time.
- (2) Posts shall be reserved for the candidates belonging to scheduled castes, Scheduled Tribes and other Backward classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Evem Anya Pichhde Vergon ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 121 of 1994) and as per orders issued by the state government from time to time.
- (3) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.
- (4) Those candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes as are selected for appointment to the posts with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved under sub-rule (2) for the candidates of Scheduled Castes or Scheduled Tribes or other Backward Classes, as the case may be.
- (5) In such cases, where experience of some period is prescribed as essential conditions for the post to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the commission that sufficient number of candidates belonging to scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, may not be available, the commission may relax such conditions of experience to the candidates of Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Back ward classes after consultation with the Government.
- (6) If a sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies, without obtaining previous approval of the Government shall not be filled from other candidates and the vacancies, shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes for the next selection.
- (7) Posts shall be reserved for women candidates as per the provisions of The Madhya Pradesh Civil Services (Special provisions for appointment of Women) Rules, 1997.
- (8) Posts shall be reserved for disabled persons vide instructious issued by the Government in General Administration Department, provided they are found capable of doing the work for which they are being appointed.
- 12. List of Candidates Recommended by the Commission.—(1) The Commission shall prepare a list arranged in order of merit of the candidates, who may have qualified by such standards, as may be determined by it.
- (2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

- (3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.
 - (4) The list shall valid for one year from the date of issuing by Commission.
- 13. **Appointment by promotion.**—(1) There shall be a committee constituted by the Chairman for making selection for promotion of eligible candidates.
 - (2) The committee shall meet atleast once in a year ordinarily.
- (3) For such posts, which are to be filled by promotion as specified in Scheduled-II, 16 percent and 20 percent posts shall be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, respectively, who are eligible for promotion.
- (4) The procedure to be followed for filling the reserved vacancies by promotions, shall be in accordance with the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time.
- 14. Conditions of Eligibility for promotion.—(1) The committee shall consider the cases of all persons who on the first day of January of that year had completed such number of the years of service, whether officiating or substantive on the posts as specified in column (5) of schedule (IV) from which promotion is to be made or any other post or posts declared equivalent by the Government and are within the zone of consideration:

Provided that any junior person shall not be considered for promotion in preference to the person senior to him only on the basis that he has completed the prescribed years of service.

- (2) The Zone of consideration for promotion shall be such as specified is the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002.
- 15. **Preparation of the list of the suitable candidates.**—(1) The Departmental Promotion committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 15 and are held by committee to be suitable for promotion to the service according to the provisions of Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules 2002. The list shall be sufficient to cover the vacancies anticipated on account of retirement/promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of the two public servants of 25 percent of number of vacancies, whichever is more, included in the said select list shall be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.
- (2) The criteria of preparation for select list shall be as per provisions of the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002.
- (3) The names of persons included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule IV at the time of preparation of each select list. Whenever promotion is to be made on the basis of merit cum seniority the select list shall be prepared as per the provisions of Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules 2002.

Explanation.— A person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the select list shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

- (4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.
- (5) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, the Committee shall record its reasons for the proposed suppression.

- 16. Consultation with the commission.—The recommendation of the Departmental promotion Committee presided over by the Chairman or a member of the Commission shall be deemed to be in compliance of the requirement of consultation with the Commission under sub-clause (b) of clause (3) of article 320 of the Constitution and a separate consultation with the Commission shall not be required.
- 17. **Select list.**—(1) The Government shall consider the list prepared by the committee along with the other documents received from the committee and unless it considers any necessary change approve the list.
- (2) If the Government considers it necessary to make any change in the list received from the committee, he shall inform the Committee to the change proposed and after taking in to account the comments, if any, of the committee, may approve the list finally with such modification, if any, as may in its opinion just and proper.
- (3) The list as finally approved by the Government shall form select list for promotion of the members of the service from the posts shown in column (2) of Schedule IV to the posts shown in column (3) of the said Schedule.
- (4) The select list shall ordinarily be in force for a period of one year until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 15 but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that in the event of a grave laps in the conduct of performance of the duties on the part on any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the committee may, if deems fit, remove the name of such persons from the select list.

- 18. **Appointment to the service from the select list.—** (1) Appointments of the persons included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such persons appear in the select list.
- (2) It shall not ordinarily be necessary to consult Commission before the appointment of a person whose name is included in the select list in the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the dates of his proposed appointments there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.
- 19. **Probation.** Every person appointed to the service shall be appointed on probation for a period of two years.
- 20. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.
- 21. **Relaxation.**—Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules shall apply in such manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that no case shall be dealt with in any manner less favourable to the person than that provided in these rules.

- 22. **Saving.** Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.
- 23. **Repeal and Saving.**—All rules corresponding to these rules relating to recruitment and promotion with the Madhya Pradesh School Education Recruitment and promotion Rules, 1982 and Madhya Pradesh District Institute of Education and Training (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1991, and inforce immediately, before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of the matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE I - A

(See Rule- 5)

Classification of posts and pay scale and number of posts included in the service.

S. No.	Posts included in the service	Total number of permanent Post	Classification	Pay Scale	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Commissioner – cum-Director	1	IAS	IAS Super time scale	State Government
2	Additional* Director Cadre	3	Class-I	37400-67000 + G.P. 8700	State Government
3	Joint Director Cadre**	10	Class-I	15600-39100 + G.P. 7600	State Government
4	Professor Cadre***	71	Class-I	15600-39100 + G.P. 6600	State Government
5	Assistant Professor	249	Class-II	15600-39100 + G.P. 5400	State Government
6	Senior Lecturer	263	Class-II	9300-34800 + G.P. 4200	Director SCIRT
7	Lecturer	407	Class-II	9300-34800 + G.P. 3600	Director SCIRT

^{* 2} Posts of Director IASE are included in Additional Director Cadre.

^{** 1} Post of Director SISE, (1 Post of Director ELTI) and 6 posts of Principals CTE are included in Joint Director Cadre.

^{*** 45} Posts of Principals DIET/DRC and 1 post of Principal PPTI are included in Professors Cadre.

SCHEDULE I - B

(See Rule- 5)

Institution wise particulars of the post of Teachers Education and Training, Academic Gazetted Cadre.

S.No.		Гotal.No. of	SCERT		SE	CTE	SISE	ELTI	DIET	DRC	PPTI
(1)	(2)	permanent posts (3)	(4)	Bho pal (5)	Jabal pur (6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Commissioner -cum- Director.	1	1	-	_	-	_	-	_	-	
2	Additional Director Cadre	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-
3	Joint Director Cadre	10,	2	-	-	6	1	1	-	- ,	-
4	Professor	25	5	2	3	12	2	1	-	-	-
5	Principal (DIET/DRC/PPT	I) 46	-	-	-	-	_	<u>.</u> .	42	3	1
6	Assistant Professor	249	8	14	16	60	10	8	126	6	1
7	Senior Lecturer	263	15	3	5	24	-	_	210	6	-
8	Lecturer	407	15	4	8	24	4		336	12	4

SCHEDULE II – A

(See Rule- 6)

Method of Recruitment

S. No.	Name of the Service	Number of posts	Percentage of the work post to be filled up			
(1)	(2)	(3)	By Direct recruitment (4)	By promotion (5)		
1	Additional Director	03	-	100		
2	Joint Director	10	-	100		
3	Professor	71	25	75		
4	Assistant Professor	249	50	50		
5	Senior Lecturer	263	50	50		
6	Lecturer	407	100	-		

Note.—From the Senior Lecturer cadre in foundation course, fine arts/Performing arts, Computer Science and Physical Education each 8 posts are kept reserved for promotion. Total 8 posts of Senior Lecture, shall be kept reserved for promotion from one Lecturer of the subjects of fine arts/Performing arts, Computer Science and Physical Education.

SCHEDULE II - B

(See Rule- 6)

Institution and subject wise details of the posts of teacher cadre to be filled through direct recruitment.

S. No.	o. Name of the Subject and No. of Posts for Professor Cadre		Subject and No. of Posts for Assistant-Professor Cadre	Subject and No. of Post for Senior Lecturer	Subject and No. of Posts for Lecturer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SCERT	Psychology - 1 Distant Education - 1	Mathematics - 1 Hindi - 1 English - 1 History – 1 Elementry Education-1	History – 1 Hindi - 1 English - 1 Sanskrit - 1 Urdu-1 Mathematics-1 Geography – 1	Hindi - 1 English - 1 Sanskrit - 1 Urdu - 1, Physics-1, Biology-1 Mathematics-1 Geography - 1 Commerce - 1 Home Science - 1 Psychology - 1 Foundation course - 1 Fine Art/Performing Art - 1, Computer Science - 1, Health and Physical Education - 1
2	SISE	Biology - 1 Mathematics — 1	Mathematics - 1 Physics - 1 Chemistry - 1 Botany - 1 Zoology-1	-	Physics - 1 Chemistry - 1 Biology-1 Mathematics -1
3	ELTI	English – 1	English – 4		_
4	IASE Bhopal	-	Hindi - 1 English-1 Chemistry - 1 Botany - 1, Mathematics - 1, Ec Elementry Education - 1	Hindi - 1 Physics-1 onomics – 1,	Biology-1 Mathematics-1, English-1 Geography-1
	IASE Jabalpur	Psychology-1	Hindi - 1 English-1 Physics-1 Chemistry -1 Zoology - 1 Mathematics - 1, Political Science-1 Psychology-1	Hindi - 1 Physics-1	Biology-1 Mathematics-1 English-1 Geography-1 Psychology-4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	CTE	Elementary Education-12	English-6 Physics-6 Chemistry-6 Mathematics-6 Political Science Economics-2 Geography-2	English-6 Physics-6 e-2	Hindi-6 Biology-6, Mathematics-6 Economics-6
6	DIET/DRC	-	Elementary Education-20 Psychology-45	Sanskrit-45 Mathematics-45 Economics-9 Geography-9	Hindi-45 English-45 Mathematics-45 Computer Science-42 Biology-42 Foundation-
	I			I	Course-42 Fine Art-42 Health and Physical Education-42 Psychology-3
7	PPTI	-	Psychology-1	-	Home Science-2 Psychology-2

SCHEDULE III
(See Rule- 8)
Essential Education Qualification, Experience and Age Limit for Direct Recruitment

Institution	Post	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Qualification	Experience
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SCERT, IASE, CTE.	Professor	35	50	 Minimum First Class Post Graduate Degee & M. Ed. Ph. D. in Education 	1. Seven years experience of teaching in Higher Secondary Classes. 2. Three years experience of Teaching in Teachers Training Institute a expereince of onducting. In service training programme. 3. Minimum three years experience of Principal Higher Secondary School level in Education Administration.
SISE	Professor (Science)	35	50	 Minimum First Class Graduate Degree in Science Subject & M. Ed. Ph. D. in Education 	Post As above

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
ELTI	Professor	35	50	1. Minimum I Graduate Deg Subject & M.	_	t As above
				2. Ph. D. in E	ducation.	
IASE	Professor (Psychology)	35	50		First Class Post ee in Psycholo Ed.	
				2. Ph. D. in E	ducation.	
DIET DRC, PPTI.	Principal	35	50		Ed. lucation with Diploma/Degr s in Primary or	
SCERT/ IASE/CTE/ SISE/ELTI/ DIET/DRC/ PPTI	Assistant Professor	30	45	1. Post Gradu: with minimun in allied subje M. Ed. 2. Ph. D. in Ed	n first class ect and	1. Minimum 5 years of experience of teaching Higher Secondary Classes 2. 3 years experience of teaching in teachers training institute and operation and training of teaching programmes according to the National and State Policy. 3. Experience of Research paper, Project, Articles, Book writing etc. in the field of School Education at State level.
SCERT/ IASE/CTE/ DIET/DRC/	Senior Lecture	28	45	1. Post Gradua class in the sof School edu M. Ed./or M. (Education) with minimum 3. Preference to Education.	ubject acation and A. with minimum B. Ed. n first class.	1. Minimum 5 years of experience of teaching Higher Secondary Classes 2. 3 years experience of teaching in teachers training institute and operation and training of teaching programmes according to the National and State Policy. 3. Experience of Research paper, Project, Articles, Book writing etc. in the field of School Education at State level.

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
SCERT/ IASE/CTE/ SISE/DIET/ DRC/PPTI	Lecturer	25	35	M. Ed./M.Ed.(Elementary) teaching in the sch with first class related with the fiel primary and second		related with the field of primary and secondary
				Or		education.
				M. A. in Educ class and Dip with first clas and elementar	s in Primary	st
				(b) Technical (1) compulsor Graduation w in any school subject and M (elementary)	rily Post ith first class teaching	2. Shall have formal qualification in computer science/Computers.
				Or		
		•		M. A. in educ class and Dip with first clas elementary ed	loma/Degree s in primary a	
				(2) Desiable-		
				Efficiency in education pur		? for
			,	(C) Fine Art/P Compulsorily with first class Music/Dance.	Post Graduation	
				2. Desirable - Degree/Diplor	ma in Educatio	on.
				(d) Health an compulsorily Physical education.	Master Degree ation (M.P. Ed	in .) with
				(e) Computer compulsorily l Computer App with first class diploma in edu	Master of plication (MCA s desirable Deg	

SCHEDULE - IV

(See Rule - 14)

METHOD OF RECRUITMENT

M.P. School Education Teachers Education and Training Academic Gazetted Cadre

S. No.	Name of the Department	Name of service or Post from which promotion is to be made	Name of the service or Post to which promotion	Prescribed experience for promotion	Name of the members of the Departmental Promotion
(1)	(2)	(3)	is to be made (4)	(5)	committee. (6)
1.	School Education Department	Joint Director	Additional Directo	or 5 Years	(1) Chairman, Public Service Commission or the Member nominated by him.
.2.	School Education Department	Professor	Joint Director	5 Years	(2) Principal Secretary/ Secretary, School Education.
3.	School Education Department	Assistant Professor	Professor	5 Years	(3) Deputy Secretary, School Education member.
					(4) Director, M.P. State Educational Research and Training Council Member Secretary.
4.	School Education Department	Senior Lecturer	Assistant Professor	r 5 Years	(1) Director SCERT (Chairman)
5.	School Education Department	Lecturer	Senior Lecturer	5 Years	(2) Director IASE (Senior Most) -Member
	L 20000000				(3) Principal CTE (Senior most)-Member
					(4) Additional Director/Joint Director, SCERT - Member Secretary.

Note:—In case of there is no member of Schedule Caste/Schedule Tribe in the Departmental Promotion Committee, an extra member shall be included belonging to aforesaid class.

By order and in the Name of Governor of Madhya Pradesh, GEETA MISHRA, Addl. Secy.